सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 04, मंगलवार, *शाके* 1947- मार्च 25, 2025 *Chaitra 04, Tuesday, Saka 1947- March 25, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, मार्च 6, 2025

संख्या F.32(B)(1)(After Policy-2025-26)EX/L/2025-04359-6914704-Part File(3)/ :-राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के बिन्दु संख्या 3.7.2 के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2025-26 के लिये थोक निर्गम मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

क्र.सं	ENA निर्मित मदिरा की किस्म	पव्वों (180 एम.एल.) के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)
1	देशी मदिरा 40 यूपी- ग्लास	662
2	देशी मदिरा 40 यूपी- पेट	600
3	देशी मदिरा 40 यूपी- एसेप्टिक पैक	635
4	देशी मदिरा 50 यूपी- पेट	556
5	देशी मदिरा 50 यूपी- एसेप्टिक पैक	558
6	देशी मदिरा 60 यूपी- पेट	402
7	देशी मदिरा 60 यूपी- एसेप्टिक पैक	402
8	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- ग्लास	777
9	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- पेट	693
10	राजस्थान निर्मित मदिरा 25 यूपी-एसेप्टिक पैक	756

उक्त अधिसूचना 01.04.2025 से प्रभावी रहेगी |

शिवप्रसाद नकाते,

आबकारी आयुक्त,राजस्थान।

10404

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।